

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी, दिवांशु शर्मा, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 05/2017 (वाद)

दायर दिनांक -09/01/2017

निर्णय दिनांक -13/02/2020

अनवान

1. मोहम्मद पिता कालु जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. कासम पिता कालु जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा, हाल पीपली अहिरान तहसील रेलमगरा
2. राजस्थान राज्य जरिये जहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द


प्रतिवादी

वाद बाबत् विभाजन

: निर्णय :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि ग्राम रेलमगरा में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 2273 रकबा 02-01 व आराजी संख्या 3421/2226/1 रकबा 00-09 बीघा कुल किता 02 रकबा 02-10 बीघा स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादी का हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। जिस अधिवक्ता पक्षकारान ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाना है:-

क्र.सं.	नम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	कासम पिता कालु मुसलमान सा. देह खातेदार	2273/1	00-16	0-32
		3421/2226/1	00-09	0-18
	योग:-	किता-02	01-05	0-50
2.	मोहम्मद पिता कालु मुसलमान सा. देह खातेदार	2273 मीन	01-05	0-50
	योग:-	किता-01	01-05	0-50


सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनंरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैंसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/02/2020 को मेरे द्वारा लिखावाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(दिवांशु शर्मा)

सहायक कलक्टर

(उपनिष्ठाधिकारी)

रेलमगरा

मूल वाद मे डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :- दिवांशु शर्मा आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या :- 05 / 2017

अनवान

1. मोहम्मद पिता कालु जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1 कासम पिता कालु जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा, हाल पीपली अहिरान तहसील रेलमगरा

2 राजस्थान राज्य जरिये जहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

दावा :- वाद बाबत विभाजन

वादी की ओर से :- मुरलीधर दशोरा, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से :- रतनलाल रावत अधिवक्ता

में इस आशय मे दिनांक 13/02/2020 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि वादी का वाद ग्राम रेलमगरा में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 2273 रकबा 02-01 व आराजी संख्या 3421/2226/1 रकबा 00-09 बीघा कुल किता 02 रकबा 02-10 बीघा स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादी का हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। जिस अधिवक्ता पक्षकारान ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाना है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	कासम पिता कालु मुसलमान सा. देह खातेदार	2273/1	00-16	0-32
		3421/2226/1	00-09	0-18
	योग:-	किता-02	01-05	0-50
2.	मोहम्मद पिता कालु मुसलमान सा.देह खातेदार	2273 गीन	01-05	0-50
		योग:-	किता-01	01-05

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिकी पर्या कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 24/12/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।



(दिवांशु शर्मा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा
रेलमगरा